

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र.....62/06/आउशि/अ.शै.प्र./2016

नया रायपुर, दिनांक 01/06/2016

प्रति,

संचालक
जनसंपर्क संचालनालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- समाचार पत्रों में विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशन कराने बाबत।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन उच्चतर कक्षाएं/नया पाठ्यक्रम, संकाय प्रारंभ करने एवं अन्य संस्थाओं द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोलने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31.07.2016 से संबंधित विज्ञप्ति/सूचना की समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशित किया जाना है।

कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :-विज्ञप्ति।

अपर संचालक (बी)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

// विज्ञप्ति //

सत्र 2017-18 में नवीन अशासकीय महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2016

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत समितियाँ यदि वर्ष 2017-18 से उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नई संस्था (नवीन अशासकीय महाविद्यालय) खोलना चाहती है या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व संचालित संस्थाएँ नया विषय संकाय, नया पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री प्रारंभ करने या उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने के इच्छुक है, वे संस्थाएं 31 जुलाई 2016 तक रु. 5000/- के चालान सहित (चालान की राशि जमा करने के लिए मुख्य शीर्ष 0202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, ट्यूशन और अन्य शुल्क 800-अन्य प्राप्तियाँ) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 31.07.2016 के सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। यह आवेदन अशासकीय महाविद्यालय संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 और नियम 2007 एवं संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन पत्र आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, ब्लॉक-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in/ www.cgslqac.in के नोटिस बोर्ड से भी प्राप्त की जा सकती है। अपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

अपर संचालक (बी)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)